न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 1406/2021 निर्णय दिनांक :– 29.07.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. सोहनलाल बनाम रामनाथ जाति कलाल निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र छीतर जाति दरोगा आयु 40 वर्ष निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
2. लादी पत्नी स्व. छीतर जाति दरोगा आयु 60 वर्ष निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
3. शम्भूलाल पुत्र छीतर जाति द्ररोगा आयु 37 वर्ष निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
4. समदर पुत्र छीतर जाति दरोगा आयु 35 वर्ष निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
5. चन्दा पत्नी स्व0 हफीज जाति मुसलमान आयु 60 वर्ष निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
6. जमीला पुत्री सुल्तान खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
7. जरीना पुत्री सुल्तान खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
8. जाकीर हुसैन पुत्र हफीज खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
9. नन्नी पुत्री हफीज खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
10. नाजम पुत्र बहादुर खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
11. नाथू पुत्र सुल्तान खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
12. निशार पुत्र बहादुर खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
13. मुमताज पुत्री सुल्तान खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
14. शकीला पुत्री पुत्री हफीज खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
15. शरीफ पुत्र बहादुर खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
16. शाकीर हुसैन पुत्र हफीज खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।

17. सत्तार खां पुत्र बहादुर खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
18. हनिसा पुत्री हफीज खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक।
19. दीपू पुत्र स्व. मोतीराम धोबी जाति धोबी आयु बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक।
20. सीता पत्नी स्व. मोतीराम जाति धोबी आयु बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक।
21. सन्तरा पुत्री स्व. मोतीराम जाति धोबी आयु बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक।
22. विमला पुत्री स्व. मोतीराम जाति धोबी आयु बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक।
23. उर्मिला पुत्री स्व. मोतीराम जाति धोबी आयु बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक।
24. छोटी पुत्री स्व. मोतीराम जाति धोबी आयु बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक।
25. राजूलाल पुत्र मोडूराम जाति धोबी आयु बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक।
26. सुरेश पुत्र मोडूराम जाति धोबी आयु बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक।
27. शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देवली जिला टोंक।
28. शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा देवली जिला टोंक।
29. तहसीलदार जी देवली जिला–टोंक राजस्थान

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री राधेगोपाल शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4
श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 5,8,10 ता 11, 12, 15 ता 17
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 7, 9, 13 ता 14, 18 ता 26
तहसीलदार देवली

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात भूमि ख0नं0 5728/1138 रकबा 0.1550 है0 किस्म चाही, ख. नं. 5732/424 रकबा 0.1175 है0 किस्म जाव–3 ग्राम देवलीगांव तहसील देवली

19.7.22

जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी भूमि ख. नं. 5728/1138 रकबा 0.1550 है0 ग्राम देवली गांव में जाने हेतु गै. मु. रास्ता ख. नं. 1076 में से होकर प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी की भूमि ख. नं. 1131 रकबा 2.66 है0 भूमि की पूर्वी सीमा से होते हुए प्रतिपक्षीगण नम्बर 5 ता 18 के खेत ख. नं. 1130 रकबा 2.41 है0 भूमि की दक्षिण सीमा से होकर प्रतिपक्षीगण नम्बर 19 ता 26 के खेत ख. नं. 1139 रकबा 0.65 है0 भूमि की पूर्वी सीमा से होकर अपनी खातेदारी की भूमि ख. नं. 5728/1138 रकबा 0.1550 है0 भूमि पर आता–जाता है, उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थी काफी वर्षो से कृषि यन्त्र हल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली ले जान व अन्य कृषि उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी को अपने खेत की भूमि में जाने–आने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है, इसलिए प्रार्थी को रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। प्रतिपक्षीगण नम्बर 1 ता 26 ने प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 5728/1138 रकबा 0.1550 है0 तक आने–जाने के रास्ते को 10 दिन पूर्व बन्द कर दिया है, जिससे प्रार्थी को अपने खेत पर आने–जाने में काफी परेशानी आ रही है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में रास्ता चाहने हेतु पेश किया है। प्रार्थी के खेत में जाने का एक मात्र रास्ता यही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रार्थी को जमीन काश्त करने के लिये फसल काटकर ले जाने के लिये ट्रेक्टर द्वारा इसी रास्ते से होकर आना–जाना पड़ता है। इसलिये प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 4 को खातेदारी की भूमि ख. नं. 1131 रकबा 2.66 है0 भूमि की पूर्वी सीमा में से 10 फीट चौड़ा रास्ता तथा प्रतिपक्षीगण नं. 5 ता 18 के खेत ख. नं. 1130 रकबा 2.41 है0 भूमि की दक्षिण सीमा में से 10 फीट चौड़ा रास्ता तथा प्रतिपक्षीगण नं. 19 ता 26 के खेत ख. नं. 1139 रकबा 0.65 है0 भूमि पूर्वी सीमा में से 10 फीट चौड़ा रास्ता अपनी खातेदारी की भूमि ख. नं. 5728/1138 रकबा 0.1550 है0 में आने जाने का 10 फीट चौड़ा रास्ता चाहते है। प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी दर से राशि जमा कराने को तैयार है। ख. नं. 1130 में वर्णित खातेदारी सुबराती पत्नी बहादुर खां जाति मुसलमान निवासी देलीगांव की पूर्व में मृत्यु हो जाने से उसे पक्षकार नहीं बनया गया है, क्योकि उसके वारिसान नाजम, निसार, शरीफ एवं संतार पुत्र बहादुर खां प्रतिवादीगण 10, 12, 16,17 का नाम पहले से ही राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। ख. नं. 1139 रकबा 0.65 है0 मेंसे 1/2 हिस्से के खातेदार मोतीरामा पुत्र श्रीकिशन जाति धोबी निवासी देलीगावं का स्वर्गवास पूर्व में जो जाने के कारण उसे पक्षकार नहीं बनाया गया

है, उसके वारिसान पुत्र दीपू व पत्नी सीता व पुत्रियां सन्तरा, उर्मिला व छोटी प्रतिपक्षीगण 19 ता 25 वारिसान होने के कारण उन्हे उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिपक्षीगण संख्या 25 का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा होने राजूलाल व प्रतिपक्षी संख्या 26 का भी 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिपक्षीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देवली में रहन होने के कारण प्रतिपक्षीगण संख्या 27 को पक्षकार बनया गया है। प्रतिपक्षीगण संख्या 3 का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा देवली में रहन होने के कारण प्रतिपक्षीगण संख्या 28 को पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार जी देवली लेण्ड होल्डर होने के कारण प्रतिपक्षी संख्या 29 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात भूमि वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित होने व रास्ते हेतु प्रतिपक्षीगण की भूमि भी देवलीगांव में स्थित होने के कारण रास्ता चाहने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायायल को पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपने खेत ख. नं. 5728/1138 रकबा 0.1550 है0 में आने–जाने कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर, ट्रोली, फसल ले जाने हेतु प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी की भूमि ख. नं. 1131 रकबा 2.66 है0 भूमि पूर्वी सीमा में से 10 फीट चौड़ा रास्ता तथा प्रतिपक्षीगण नं. 5 ता 18 के खेत ख. नं. 1130 रकबा 2.41 है0 भूमि की दक्षिण सीमा मे से 10 फीट चौड़ा रास्ता तथा प्रतिपक्षीगण न. 19 ता 26 के खेत ख. नं. 1139 रकबा 0.65 है0 भूमि पूर्वी सीमा में से 10 फीट चौड़ा रास्ता अर्थात सभी नम्बरान में से 10 फीट चौड़ा रास्ता तथा अपने खातेदारी के खेत तक पहुंचने तक की लम्बाई में रास्ता डीएलसी दर से दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर इसी अनुरूप शीट में तरमीम किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास तुनगारिया ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:–प्रार्थना पत्र का चरण नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है

गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 6 अप्रार्थी संख्या 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17 से सम्बंधित नही है इस कारण जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 7 अप्रार्थी संख्या 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17 से सम्बंधित नही है इस कारण जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 8 अप्रार्थी संख्या 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17 से सम्बंधित नही है इस कारण जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 9 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 10 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 11 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अनुतोष/प्रार्थना गलत होने से स्वीकार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज किए जाने योग्य है। मुलाहिजा को विशेष आपति । प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1130 के दक्षिण दिशा से रास्ता चाहा है उक्त खसरा नम्बर 1130 के दक्षिण मे पूर्व से पश्चिम मेढ है और मेढ पर गै0मु0 चाह है इस कारण गै0मु0चाह मे से प्रार्थी रास्ता नही ले सकता इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। खसरा नम्बर 1139 के उतर–पूर्व में अपनी सीमा/मेढ पर तारबंदी कर रखी है और उक्त तारबंदी के बाद खसरा नम्बर 1130 की मेढ पर पुरानी गै0मु0चाह व भूमि स्थित है जिसमें से कानूनन कोई रास्ता नही ले सकता इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरवाया जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेगोपाल शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है :– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 में खसरा नम्बर 5728/1138 रकबा 0.1550 है0 व खसरा नम्बर 5732/424 रकबा 0.1175 है0 वाके ग्राम देवलीगांव के राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार नही है। प्रार्थी खसरा नम्बर 5728/1138 रकबा .1550 है0 में जाने हेतु खसरा नम्बर 1176 गै0मु0 रास्ता में से प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1131 रकबा 2.66 है0 में से होकर कभी भी रास्ता का उपयोग व उपभोग नही किया है। प्रार्थी ने काफी वर्षो से प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1131 रकबा 2.66 है0 देवलीगांव में से होकर कृषि यंत्र लाने, ले जाने के लिए बतौर

आम रास्ता का उपयोग-उपभोग नही किया जाता है। प्रार्थी जबरन रास्ता लेना चाहता है जिसको कोई अधिकार प्राप्त नही है। न्यायालय द्वारा मौका नजरी रिपोर्ट गलत है एवं प्रतिपक्षी 1 ता 4 की अनुपस्थिति में बनायी गई है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 गलत है प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 ने जब रास्ता ही नही है तो रास्ता बन्द करने का सवाल ही नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 गलत है। प्रार्थी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5738/1138 वाके देवलीगांव ने प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 ही खातेदारी भूमि 1131 रकबा 2.66 है0 का बतौर आम रास्ता कभी भी उपयोग-उपभोग नही किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पेतृक है अन्य वारिसान को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 6, 7, 8 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 9, 10, 11 कानूनी है। अतः प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 की ओर से मय शपथ पत्र जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की कृपा करे।

तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 5728/1138 रकबा 0.1550 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थी की आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की चोडाई तथा लम्बाई वर्ग मीटर में है जो खसरा नम्बर 1131 क्षेत्रफल 140 X 3 = 420 मी0, खसरा नम्बर 1130 क्षेत्रफल 28 X 3 = 84 मी0 व खसरा नम्बर 1139 क्षेत्रफल 58 X 3 = 174 मी0 किता 3 कुल क्षेत्रफल 226 X 3 = 678 मी0 जिसकी डी0एल0सी0 दर 936486 रू0 प्रति हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.0678 का एक गुना राशि 63494/- व दुगुनी राशि 126988 रू0 बनती है। प्रस्तावित रास्ते की दूरी अजमेर रोड (पुराना) केकडी रोड से 760 मी0 व देवलीगांव की आबादी से 1.7 किमी0 दूर है सिंचित है। आवेदक की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1131, 1130, 1139 में से रास्ता चाहता है जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गए रास्ते के मध्य कोई पेड, दीवार आदि कोई संरचना नही है। अप्रार्थी रास्ता देने के लिए सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा दिया गया जवाब तथ्यो से परे है। अप्रार्थीगण द्वारा कुंआ ख. नं. 1130 में बताया गया है जबकि कुआ ख. नं. 1139 में स्थित है और प्रार्थी रास्ता 1130 की

उपरी सीमा से मांग रहा है। तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना दर्शाया है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री आर. एन. तुनगारिया ने अपनी बहस में अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ख. नं. 1130 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम में मेड है और मेड़ पर गै. मु. चाह कुआ है जिसमें से रास्ता दिया नही जा सकता है। तहसीलदार जी की प्रस्तावित रिपोर्ट में रास्ते में कुआं है और मोके पर कुंआ 1130 में है। मोके पर रास्ता 1139 में से निकलेगा, 1130 में नहीं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 श्री राधेगोपाल जी ने अपनी बहस में अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण कभी भी ख. नं. 1131 में से आते जाते नहीं रहे है। पटवारी रिपोर्ट गलत है एवं रिपोर्ट प्रतिपक्षी 1 ता 4 की अनुपस्थिति में बनायी गई है। गलत है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार वाके ग्राम देवलीगांव जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के ख. नं. 5728/1138 रकबा 0.1550 है0 में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण ने अन्य कोई रास्ता विधिवत रास्ता नहीं बताया और अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 5728/1138 रकबा 0.1550 है0 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड इत्यादि नहीं है। रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रस्तावित रास्ते के मध्य में कुआं स्थित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराज़ी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट व लाल स्याही से दर्शित नक्शा ट्रेस अनुसार वाके ग्राम देवलीगांव के खसरा नम्बर ख. नं. 1131 में चौडाई 3 मीटर एवं लम्बाई 140 मीटर अर्थात 420 वर्ग मीटर, ख. नं. 1130 में चौडाई 3 मीटर एवं लम्बाई 28 मीटर अर्थात 84 वर्ग मीटर व ख. नं. 1139 में चौडाई 3 मीटर एवं लम्बाई 58 मीटर अर्थात 174 वर्ग मीटर, कुल क्षैत्रफल 678 वर्ग मीटर होगा, उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 936486/– रू0 प्रति हैक्टेयर के अनुसार कुल क्षैत्रफल 678 वर्गमीटर अर्थात 0.0678 है0 की डी.एल.सी दर से एक गुना राशि

रु.3494 / – रूपये व दुगुनी प्रतिकर राशि 126988 / – रूपये होती है। तहसीलदार देवली 0.0678 है0 के लिए डी.एल.सी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 126988 / – अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेंस अनुसार मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार प्रदान करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
3/7/22	आदि उभयपक्ष ने अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13/7/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	
13/7/22	आदि उभयपक्ष से बहस सुनी। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश दिनांक 24/7/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	
24/7/22	पत्रावली प्रस्तुत। निर्णय/आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय/आदेश पृथक से शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	नकल ... प्राप्त की (हस्ताक्षर) (सोहनलाल)
12/8/2022	आदि प्रार्थी ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र रामनाथ जाति कलाल नि. देवलीगांव का अंकित/	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम की तामील
	परन्तु निर्णय आदेश दिनांक 29/7/22 में प्रार्थी का नाम सोहनलाल बनाम रामनाथ अंकित हो गया त्रुटिवश संशोधन किया जावे। पत्रावली तलब की गई। प्राप्त पत्र व निर्णय दिनांक 29/7/22 का अवलोकन किया। त्रुटिवश प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र रामनाथ के स्थान पर सोहनलाल बनाम रामनाथ का अंकन हो गया जो दुरुस्त किये जाने योग्य है अतः निर्णय दिनांक 29/7/22 में अंकित प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र रामनाथ पढ़ा व समझा जावे, शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। आदेशिका दिनांक 12/8/2022 निर्णय/आदेश का अंग रहेगी। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी देवली	